न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00122 दायरा दिनांक : 11.11.2020

उनवान

1– शम्भू दयाल पुत्र नन्द किशोर, जाति मीणा । निवासीगण बिछालस

2– मुरलीधर पुत्र नन्द किशोर, जाति मीणा । हाल निवासी जैल

। कालोनी अटरू

3– गीताबाई पुत्री नन्द किशोर, जाति मीणा, निवासी बिछालस हाल निवासी कलमण्डा की झोपडियां

4– भूली बाई पुत्री नन्दकिशोर, जाति मीणा, निवासी बिछालस,

5– नट्टी बाई पुत्री नन्द किशोर, जाति मीणा

6– कैलाशी बाई पत्नी नन्द किशोर, जाति मीणा,

निवासी बिछालस हाल निवासी जैल कॉलोनी अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांटगण

बनाम

1– प्रेम बाई पत्नी आशाराम, जाति मीणा, निवासी बिछालस

2– छीतरलाल पुत्र किशनगोपाल, जाति मीणा

3– प्रेम चन्द्र पुत्र किशनगोपाल, जाति मीणा

4– रामप्रसाद पुत्र रामनाथ, जाति मीणा

5– शिशुपाल पुत्र रामनाथ, जाति मीणा

6– धनपाल पुत्र रामनाथ, जाति मीणा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

7– भरोसीबाई पुत्री रामनाथ, जाति मीणा

8– बादाम बाई पुत्री रामनाथ, जाति मीणा

9– हंसराज पुत्र किशन चन्द्र, जाति मीणा

10– देवीशंकर पुत्र किशन चन्द्र, जाति मीणा

11– ओम प्रकाश पुत्र किशन चन्द्र, जाति मीणा

12– चम्पा बाई पत्नी किशन चन्द्र, जाति मीणा

13– रामदयाल पुत्र प्रभू लाल, जाति मीणा

14– कलावती पुत्री प्रभू लाल, जाति मीणा

15– कैला बाई पुत्री प्रभू लाल, जाति मीणा

निवासीगण बिछालस, तहसील अटरू, जिला बारां

16– शाखा प्रबन्धक महोदय सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू

17– शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू

18– शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडोदा शाखा अटरू

19– श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओम प्रकाश मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : **24.06.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 137/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में
रेस्पोडेंट नम्बर 1/वादिया प्रेमबाई द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,
92ए, 53 व धारा 136 एल आर एक्ट पेश किया गया जो कि ग्राम बिछालस
की आराजी खाता संख्या 14 खसरा नम्ब्र मि0 8/1 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा,
खसरा नम्बर मि0 38/1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 67/1 रकबा
9 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर मि0 92/1 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर
मि0 257 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर मि0 298 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा,
खसरा नम्बर 333/1 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 48 बीघा 12
बिस्वा आराजी का खातेदार किशनगोपाल, रामनाथ, नन्दकिशोर पुत्र गणेश,
जानकी पुत्री व टूंडी बाई बेवा गणेश जाति मीणा, निवासी बिछालस, तहसील
अटरू जिला बारां के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी । इसी
प्रकार ग्राम एवं माल बिछालस की खाता संख्या 85 की खसरा नम्बर मि0
8/2 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा, मि0 खसरा नम्बर 61/2 रकबा 9 बीघा 18
बिस्वा, खसरा नम्बर 38/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 92/2
रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 159/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर
160/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 257/2 रकबा 4 बिस्वा, खसरा
नम्बर 298/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 333/2 रकबा 2 बीघा
कुल किता 9 कुल रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा आराजी खातेदार लक्ष्मण पुत्र
बिरधा, जाति मीणा, निवासी बिछालस, तहसील अटरू जिला बारां के कब्जे
काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली
जवाबबुल जवाब में नियत थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवायी एवं साक्ष्य
प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया और वाद में एक पक्षीय कार्यवाही
की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया। अतः
अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी
दिनांक 04.03.2020 खारिज की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र
प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

दिनांक 03.10.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित मामले में दावा, जवाबदावा एवं काउटर क्लेम के आधार पर कोई तनकीयात कायम करना जाहिर नहीं होता हैं अतः अधीनस्थ न्यायलय को तनकीयात कायम कर बिन्दुवार निर्णय पारित करना चाहिए।

अधीनस्थ न्यायलय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउटंर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय पुनः सुनवाई कर इस बिन्दु पर विधिसंम्मत रूप से निर्णय पारित करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2020 अपास्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा तनकीयात कायम कर बिन्दुवार नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–08–2022 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा